भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

प्रेस नोट सं. 2 (2012 श्रृंखला)

विषय: अनिवासियों/अनिवासी कंपनी/अनिवासी कंपनियों के स्वामित्व और/या नियंत्रण वाली भारत में निगमित बैंकिंग कंपनी द्वारा अनुप्रवाह (डाउनस्ट्रीम) निवेश- '2012 का परिपत्र 1-समेकित एफडीआई नीति' के पैरा 3.10.4.1 के नीचे नोट जोड़ना।

1.0 वर्तमान स्थिति:

1.1 अनिवासियों/अनिवासी कंपनी/अनिवासी कंपनियों के स्वामित्व और/या नियंत्रण वाली भारतीय कंपनी द्वारा अनुप्रवाह निवेश के संबंध में दिनांक 10.04.2012 के '2012 का परिपत्र 1-समेकित एफडीआई नीति' के पैरा 3.10.4.1 में निम्नानुसार बताया गया है:

किसी भारतीय कम्पनी द्वारा, जो अनिवासी कम्पनी के स्वामित्व में हो अथवा नियंत्रण में, किसी अन्य भारतीय कम्पनी में अन्तर्वाह निवेश उन सैक्टरों के संबंध में जिनमें अन्य भारतीय कम्पनी प्रचालन में हैं, के प्रवेश मार्ग, सोपाधिकता और सीमाओं पर संगत क्षेत्रगत शर्तों के अनुपालन में/के अनुसार होगा ।

1.2 ऊपर उल्लिखित परिपत्र के पैरा 4.1.3 (ii) में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नानुसार बताया गया है:

अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणनाः

(क) निवेशक भारतीय कम्पनी के माध्यम से किए गए विदेशी निवेश को अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश की गणना हेतु नहीं लिया जाएगा यदि भारतीय कम्पनियां जो निवासी भारतीय नागरिकों के "स्वामित्व में और नियंत्रण में" और/अथवा जो भारतीय कम्पनियां भारतीय निवासी नागरिकों के स्वामित्व में और नियंत्रण में हैं ।

(ख) उन मामलों में जहां उपर्युक्त शर्त (क) लागू न हो अथवा यदि निवेशक कम्पनी "गैर निवासी कम्पनी" के स्वामित्व वाली अथवा उनके द्वारा नियंत्रित हो, तो निवेशक कम्पनी द्वारा भारतीय कम्पनी में किए गए समग्र निवेश को अप्रत्यक्ष

विदेशी निवेश के रुप में माना जाएगा, बशर्ते कि अपवाद स्वरूप मात्र प्रचालन तथा निवेशक/निवेशक कंपनियों की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों में अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश हो जबकि प्रचालन तथा निवेशक/निवेश करने वाली कंपनियों के लिए विदेशी निवेश सीमित होगा ।

2.0 <u>संशोधित स्थिति:</u>

भारत सरकार ने अनिवासियों/अनिवासी कंपनी/अनिवासी कंपनियों के स्वामित्व और/या नियंत्रण वाली भारत में निगमित बैंकिंग कंपनी द्वारा अनुप्रवाह निवेश की गणना से संबंधित नीति की समीक्षा की है।

3.0 तदनुसार, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी दिनांक 10.04.2012 के '2012 का परिपत्र 1-समेकित एफडीआई नीति' में निम्नलिखित संशोधन किया गया है:

<u>पैरा 3.10.4.1 के नीचे एक नोट शामिल करना:</u>

पैरा 3.10.4.1 के नीचे नया नोट निम्नानुसार शामिल किया गया है:

नोट: बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 के खंड (ग) के अनुसार अनिवासियों/अनिवासी कंपनी/अनिवासी कंपनियों के स्वामित्व और/या नियंत्रण वाली भारत में निगमित बैंकिंग कंपनी द्वारा कंपनी ऋण पुनर्व्यवस्था (सीडीआर), या अन्य ऋण पुनर्व्यवस्था तंत्र के तहत या ट्रेडिंग बुक्स या ऋण भुगतान में चूक के कारण शेयरों के अधिग्रहण के लिए किया गया अनुप्रवाह निवेश अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश में नहीं गिना जाएगा। तथापि उनके 'रणनीतिक अनुप्रवाह निवेश' को अप्रत्यक्ष विदेशी निवेश में गिना जाएगा। इसके लिए 'रणनीतिक अनुप्रवाह निवेश' से तात्पर्य इन बैंकिंग कंपनियों द्वारा उनकी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों में निवेश करना होगा।

4.0 उपर्युक्त निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा।

(अंजली प्रसाद)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार

औ.नी एवं सं. विभाग फाइल सं. 12/7/2008.एफसी-1 दिनांक 31 जुलाई, 2012